

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 124/प्र0अ(त0स0)/जेन-1/2014-15 दिनांक 15/07/2015

अनुमति-पत्र


यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न स्मरण चाहिये कि इस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित नर्सिंग होम मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म को मलिकाना अधिकारों पर किसी का कोई अस्तर गढ़ना अर्थात् यह अनुमति किसी के नैतिकगत या स्वार्थित के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री हरि नारायण सिंह अध्यक्ष/ट्रस्टी, महेश नारायण सिंह देवफंडर फाउण्डेशन (वैरिटेडुल ट्रस्ट), श्री प्रशान्त कुमार सिंह पुत्र स्व0 महेश नारायण सिंह (ट्रस्टी) द्वारा गजुल फ्री होल्ड भूखण्ड सं0 65 जार्ज टाउन इलाहाबाद जेन संख्या (1) के अर्तगत वांछित प्रस्तावित नर्सिंग होम मानचित्र का निर्माण उपाय्यता महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 13.07.2015 के अनुपालन में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुसृत पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपमोद/अप्रिमोद किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपदिशि 2006 में उपनिर्देश संख्या 2.1.8 एवं 3.1.8 में विधायित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अस्थायी (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/M.O.C की शर्त पूर्ण करने के पश्चात्, निर्मित किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्रेषित करने के बाद ही हरि परिवार को पुरातनिक उपयोग में लिया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X4 फिट का एक बॉर्डर लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा तथा यह भी अंकित किया जाय कि नर्सिंग होम में संक्रामक रोगों का इलाज नहीं किया जाता है।
4. स्थल पर 06 अक्षर इंसुलेशन होने तथा वृक्षों को हरा-पारा रखने का वांछित आवेदक का होगा।
5. स्थल पर शौचर वाटर डीटिंग संयंत्र को स्थापना आवश्यक रूप से की जायेगी। इस हेतु दिये गये राफ्त पत्र दिनांक 04.08.2015 का अक्षरशः अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
6. स्थल पर रेनवाटर हार्दिलिंग प्रणाली या अन्य के अनुसार पूर्ण करवाकर फू-गर्म जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, वास्तव्याय की पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्मित किया जायेगा।
7. पेंडिकुलर ट्रेस्ट का निस्तारण अनिवार्य रूप से बायोगैतिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं इंजलिंग क्लस 1998 अथवा अन्य प्रावधानी नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा रसायन-समय पर नवीनीकरण भी कराया जाय।
8. नर्सिंग होम में संक्रामक रोगों का इलाज निषिद्ध होगा, इस हेतु दिये गये राफ्त पत्र का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनुमति पत्र सं0 709/SICE/2015 दिनांक 22.06.2015 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)।
10. मुख्य अभिगम शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनुमति पत्र संख्या 2015/10042/इला0/इलाहाबाद/101/CFD दिनांक 31.05.2015 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)।

4.

-2/-



1. TOTAL AREA OF PLOT	448.150 SQ.MT.
2. PROPOSED AREA ON G.F.	170.000 "
3. PROPOSED AREA ON F.F.	170.000 "
4. PROPOSED AREA ON S.F.	170.000 "
5. OPEN AREA ON G. F.	278.150 "
6. OPEN AREA ON F. F.	278.150 "
7. OPEN AREA ON S. F.	278.150 "
8. MUMTY AREA	15.06 "
9. GROUND COVERAGE	37.83 %
10. F. A. R.	1.14
11. BASEMENT	142.49 "

PROPOSED NURSING HOME BUILDING PLAN
OF NAZUL PLOT NO-55 GEORGE TOWN,
TEHSIL - SADAR, DISTRICT - ALLAHABAD

OWNER SRI. PRASHANT SINGH S/O LATE SRI.
MAHESH NARAYAN SINGH & HARI
NARAYAN SINGH S/O -LATE. SRI.-AMAR
BAHADUR SINGH

- SANCTION WORK SHOWN THIS
- PROPOSED WORK SHOWN THIS
- DISMANTLE WORK SHOWN THIS
- COMPOUNDING WORK SHOWN THIS


SCHEDULE OF DOOR WINDOW & VENT.

1. DOOR D	1000 X 2400
2. DOOR D1	900 X 2400
3. DOOR D2	750 X 2400
4. WINDOW W	1500 X 2000
5. WINDOW W1	900 X 2000
6. VENT. V	750 X 600



SCALE:1:100

THIS IS TO CERTIFIED THAT THIS
MAP IS ACCORDING TO BUILDING
BYE LAWS 2012 AND ALLAHABAD
MASTER PLAN - 2021



[Signature]
25.10.2024
25.10.2024

M. L. & P. S. P. S.
25.10.2024
M. L. & P. S. P. S.